सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मूल सिंह बनाम लाल सिंह

26.7.19

विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित। उभय पक्षों की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 20–11–2017 को वादग्रस्त भूमि चक 5 एमजीएम के मुरब्बा नम्बर 65/4 के किला नम्बर 24 व 25 में 2 बीघा, मुरब्बा नम्बर 65/12 के किला नम्बर 15, 16, 21 ता 25 में 7 बीघा, मुरब्बा नम्बर 65/19 के किला नम्बर 21 व 22 में 2 बीघा, मुरब्बा नम्बर 65/20 के किला नम्बर 1 ता 25 में 25 बीघा, मुरब्बा नम्बर 65/28 के किला नम्बर 11, 12, 14, 15, 16 ता 25 में 14 बीघा इस प्रकार कुल 50 बीघा भूमि के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति दिनांक 28–12–2017 तक कायम रखने के आदेश प्रदान किये गये है।अपीलांट कथन है कि उक्त भूमि अपीलांट के धारण की भूमि है जिस पर शांतिपूर्वक काबिज है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला व सुंविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में साबित है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादपत्र मय 212 आरटीए का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए एकतरफा तौर पर अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त की गई है। दौराने अपील यदि अपीलाधीन आदेश की आड़ में अपीलांट को उसके कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल किया गया तो अपीलांट को अपूरणीय क्षति कारित होगी।

इसके विपरीत विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स द्वारा कथन किया गया है कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वादपत्र में दादा की सम्पति में पिता के जीवनकाल में हिस्से बाबत् पोते द्वारा दावा व अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए मिलीभगत करते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त की गई है। जबकि उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट को आवंटित भूमि है। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि पर अपीलांट के कोई हक व हकूका साबित नहीं होते है। जहॉ तक अपीलाधीन आदेश का प्रश्न है, उक्त आदेश एक अंतरिम आदेश है। जिस पर गुणावगुण पर निर्णय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष होना है। ऐसी स्थिति में उक्त अपील का कोई औचित्य नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट द्वारा उपखण्ड अधिकारी, ~~श्रीडूंगरगढ़~~ कोलायत द्वारा पारित अंतरिम आदेश की अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है। प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी कोलायत ने दिनांक

20–11–2017 को एकतरफा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है तथा उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई व तत्पश्चात् दिनांक 11–12–2017 को बिना अप्रार्थी की तलबी कराये पूर्व प्रसारित स्थगन आदेश में संशोधन किया गया। चूंकि उक्त आदेश एकतरफा तौर पर पारित किया गया है तथा प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण की तलबी नहीं करवाकर एकतरफा टीआई का अनुचित लाभ ले रहा है। चूंकि उक्त अपील अंतरिम आदेश के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में अपील के इस स्तर पर किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते है व प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किा जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय एकतरफा अस्थाई निषेधाज्ञा तथा दोनों पक्षों को सुने बिना किये गये संशोधन आदेश पर दोनों पक्षों की बहस सुनकर एक माह में निस्तारण करें। अन्यथा स्थिति मे उक्त आदेश दिनांक 20–11–2017 तथा आदेश दिनांक 11–12–2017 को जारी एकतरफा अस्थाई निषेधज्ञा अदेश स्वतः ही निष्प्रभावी माना जावे। उभय पक्षों को जरिये अभिभाषक निर्देशित किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित आकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफतर हो।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर